उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी
और
माननीय श्री न्यायाधीश पंकज पुरोहित

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2252 सन 2020

23 नवंबर, 2023

जगदीश सिंह सुयाल .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के लिए वकील :श्री बी. डी. पांडे, विद्वान अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए वकील :श्री जे. सी. पांडे, राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील/प्रत्यर्थी संख्या 1

:श्री एस. एस. चौहान, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता

:श्री दुष्यंत मैनाली, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

निर्णय : (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के अनुसार)

याचिकाकर्ता एक सिविल ठेकेदार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण और विकास के उद्देश्य से उन्होंने प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जारी निविदा आमंत्रित करने के नोटिस पर 28.08.2020 को प्रतिक्रिया दी। याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली शुरू में अनुकूल पाई गई थी। प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं ने शिकायत की कि याचिकाकर्ता मानक बोली दस्तावेज़ के खंड 4.2 (जी) में निहित शर्त की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, इसलिए, उसकी तकनीकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। निविदा तकनीकी समिति ने शिकायत पर विचार किया और याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को गैर-उत्तरदायी घोषित किया। इस

प्रकार, निविदा तकनीकी समिति द्वारा 20.11.2020 पर लिये गये निर्णय से व्यथित महसूस कर , याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटायाः

> " I. "खारलेख-भानार मोटर रोड कि. मी. 1 से नाइकाणा-बसोरा मोटर रोड (चरण II कार्य) चरण XVII" के संबंध में निविदा तकनीकी समिति के संकल्प दिनांक 20.11.2020 को प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक आदेश, निर्देश या उत्प्रेषण-लेख जारी करें। UT-02-70, (अनुलग्नक संख्या. 9) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की बोली को अयोग्य घोषित कर दिया गया है;
>
> I. प्रतिवादी संख्या 4 की निविदा कार्य, "खारलेख-भानार मोटर रोड के. एम. 1 से नाइकाना-बसोरा मोटर रोड (चरण II कार्य) चरण XVII" निर्धारित पैकेज सं. UT-02-70; (अनुलग्नक सं। 10), कि वित्तीय बोली को खोलने और स्वीकार करने के आदेश दिनांकित 23.11.2020 को खारिज करने के लिये सर्टिओरी की प्रकृति में एक आदेश, निर्देश या रिट जारी करें।
>
> II. अनिवार्य परमादेश की प्रकृति में एक रिट, परमादेश या निर्देश जारी करें और प्रतिवादी संख्या 2 को निविदा कार्य, "खारलेख-भानार मोटर रोड के. एम. 1 से नाइकाणा-बसोरा मोटर रोड (चरण II कार्य) चरण XVII" आवंटित पैकेज संख्या. यूटी-02-70 के लिए वित्तीय बोली को फिर से खोलने का निर्देश दें । याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली स्वीकार करने के पश्चात या वैकल्पिक रूप से कठापुरियाचिना-सेराघाट से नयालामाफी मोटर रोड स्टेज-1 और 1 एल की लंबाई 5.425 के निर्माण और रखरखाव के लिए एक नई निविदा जारी करें। "

2. याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को इस आधार पर गैर-उत्तरदायी घोषित किया गया है कि यह खंड 4.2 (छ) में निहित शर्त की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> " कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान कार्यों के अनुबंध मूल्य के प्रतिशत (बोली तिथि पत्रक में परिभाषित) तक ऋण की लाइन (ओं) तक पहुंच और बैंकर द्वारा प्रमाणित अन्य वित्तीय संसाधनों/सुविधाओं की

उपलब्धता (प्रमाण पत्र 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) का प्रमाण।

3. उपरोक्त शर्त से यह स्पष्ट है कि बैंकर द्वारा जारी प्रमाण पत्र 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 29 मे है। उक्त प्रमाणपत्र में कोई तिथि नहीं है। चूंकि मानक बोली दस्तावेज़ के खंड 4.2 (जी) में प्रावधान है कि प्रमाण पत्र 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए, प्रमाण पत्र में बैंकर द्वारा इंगित जारी करने की तिथि की अनुपस्थिति में, नियोक्ता यह पता नहीं लगा सकता है कि प्रमाण पत्र 3 महीने से अधिक पुराना है या नहीं। अतः, प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं द्वारा की गई शिकायत पर निविदा तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को अन्यायपूर्ण या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कानून अच्छी तरह से तय है कि सरकारी अनुबंध के मामलों में, बोली लगाने वाले की योग्यता और पात्रता के बारे में नियोक्ता के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और हस्तक्षेप मात्र तभी किया जाएगा जब इस तरह से लिया गया निर्णय इतना स्पष्ट रूप से गलत या अन्यायपूर्ण हो, जो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था। यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की बोली की अस्वीकृति मानक बोली दस्तावेज़ के खंड 4.2 (छ) के लिए संदर्भित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली की स्वीकृति के विरुद्ध प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं द्वारा की गई शिकायतों के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, उसके पीछे विवादित निर्णय लिया गया है।

5. प्रत्यर्थी सं. 4 के लिए विद्वान वकील, यद्यपि , प्रस्तुत करता है कि न मात्र प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं द्वारा की गई शिकायतें याचिकाकर्ता को ई-मेल के माध्यम द्वारा, 05.11.2020 को दोपहर 3.20 बजे भेजी गई थीं, बल्कि प्रतिवादी नं. 2 द्वारा याचिकाकर्ता को ई-मेल के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया । इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता श्री दुष्यंत मैनाली ने इस न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी सं.4 द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र के संलग्नक सं. सीए-2 कि और आकर्षित किया है ।

6. उक्त दस्तावेज़ के अवलोकन द्वारा संकेत मिलता है कि श्री पी. एस. खरायत और श्री भारत भूषण द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई शिकायत उन्हें विधिवत ई-मेल के माध्यम द्वारा 05.11.2020 पर 03:20 अपराह्न बजे भेजी गई थीः .

7 . याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि शिकायत की भौतिक प्रति और प्रतिवादी संख्या. 2 इसके अनुसार, याचिकाकर्ता को डाक द्वारा 19.11.2020 को भेजा गया था; जबकि, विवादित निर्णय अगले ही दिन यानी 20.11.2020 को दिया गया था। इस प्रकार, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि वह इतने कम समय के भीतर कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, यद्यपि इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपना ई-मेल एक लिखित संचार द्वारा दिनांक 01.08.2019 को प्रस्तुत किया था, इस समझ के साथ कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच सभी संचार ई-मेल के माध्यम द्वारा किया जाएगा। वे अग्रेतर प्रस्तुत करते हैं कि, मानक बोली दस्तावेज़ की शर्त के अनुसार, बोलियां मात्र ऑनलाइन जमा की जानी थीं, इस प्रकार, याचिकाकर्ता अब कारण दर्शाएँ नोटिस और शिकायत की भौतिक प्रति की सेवा पर जोर नहीं दे सकता है।

9. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतीकरण में सार है। चूंकि बोलीदाताओं और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच संपूर्ण संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से होना था, इसलिए याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि कारण दर्शाएँ नोटिस और प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं द्वारा की गई शिकायतों को उस पर भौतिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस और शिकायतें 05.12.2020 को दी गई थीं और उनकी तकनीकी बोली को गैर-उत्तरदायी घोषित करने का विवादित निर्णय मात्र 20.11.2020 को लिया गया था, इसलिए, यह तर्क कि याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

10. तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। दिनांक 02.12.2020 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

मनोज कुमार तिवारी,
ए. सी. जे.

पंकज पुरोहित, जे।

23 नवंबर, 2023
नेगी